POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.11.2025

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा ऑनलाइन बेटिंग एप/ऑनलाइन गैमलिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 07 अभियुक्त व 01 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी कूटरचित चैक बुक, बैंक पासबुक, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट, नगदी व अन्य सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.11.2025** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन बेटिंग एप/ऑनलाइन गैमलिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 07 अभियुक्त व 01 महिला अभियुक्ता को टॉवर-1, लाँ रेजीडेन्सिया सोसायटी, थाना बिसरख क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी कूटरचित चैक बुक, बैंक पासबुक, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट, नगदी व अन्य सामान बरामद किया गया है। अभियुक्तगण एक टेबल के आस-पास बैठकर मोबाइल/लैपटाप पर हार-जीत की बाजी लगा रहे थे।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण ऑनलाइन गेमिंग खिलवाने का कार्य करते हैं। इनका Winbuzz नाम से गेमिंग एप है, जिसमें लोगों को ज्यादा पैसा जीतने का लालच दिया जाता है, जिस पर लोग उसमें पैसा लगाते हैं। अभियुक्तगण, लोगों के द्वारा लगाये गये पैसे पर पहले उन्हे छोटी-मोटी राशि जितवा देते हैं जिससे उनका लालच बढ़े और वो और अधिक पैसा लगायें। लेकिन फिर जब लोग ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं तब धीरे-धीरे उनका पैसा डूबना शुरू हो जाता है। अभियुक्तगण के पास जो बैंक पासबुक और चैकबुक मिले है, ये फर्जी आई0डी0 पर खुलवाये गये है जिसमें ग्राहकों का पैसा अभियुक्तगण इन खातों में ट्राँसफर करवा लेते हैं। अभियुक्तगण पहले लोगों की आई0डी0 लेकर उनके नाम पर फर्जी सिम कार्ड खरीदते हैं फिर उसी सिम कार्ड पर बैंक खाता खुलवा लेते हैं। इस बैंक खाते का प्रयोग यह अपने ग्राहकों से पैसे के लेन-देन के लिए करते हैं। इनके पास से जो भी सिम कार्ड मिले हैं वो दूसरों के नाम से प्री-एक्टिवेटेड चालू सिम कार्ड हैं। जिन्हें यह लोग बैंकों में खाता खुलवाने में प्रयोग करते हैं। इसके बाद इनके पास भारी मात्रा में विभिन्न नामों के पासबुक, चैकबुक, एटीएम/डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए है जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 894/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1.अंकित सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी करनपुरा कोतवाली, जनपद इटावा उम्र 24 वर्ष

2.हिमांशु पुत्र बह्नम कुमार निवासी बरहीपुरा, थाना कोतवाली इटावा, जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष।

3.चिराग जैन पुत्र संजय जैन निवासी लालपुरा, थाना कोतवाली इटावा, जनपद इटावा उम्र करीब 21 वर्ष।

4.प्रथम मिश्रा पुत्र नीरज मिश्रा निवासी स्टेशन रोड़, शादीलाल धर्मशाला, इटावा उम्र 22 वर्ष।

5.हर्षित वर्मा पुत्र सुधीर कुमार वर्मा निवासी रामलीला रोड़ कोतवाली इटावा, जनपद इटावा उम्र 23 वर्ष।

6.अंश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 केशव देव वर्मा निवासी पुरविया टोला कटरा कपूरचन्द, थाना कोतवाली इटावा, जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष।

7.नितिन बाबू पुत्र उदय प्रताप निवासी नौरंगाबाद पुलिस चौकी के पास, जनपद इटावा उम्र 22 वर्ष।

8.कीर्ति पत्नी अंकित सिंह निवासी करनपुरा, थाना कोतवाली इटावा, जनपद इटावा उम्र 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 894/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 13 जुआ अधिनियम थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1-159 पासबुक विभिन्न नामों की कूटरचित

2-95 चैक बुक विभिन्न नामों की कूटरचित

3-131 एटीएम कार्ड विभिन्न नामों के फर्जी एवं कूटरचित

4-114 सिम कार्ड विभिन्न कम्पनी व नामों के

5-07 लैपटॉप

6-01 टैबलेट

7-61 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी के

8-39,670 रूपये नगद

2. थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल व शव से विच्छेदित किये गये अवशेष बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 06.11.2025 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक नाले में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शव की शिनाख्त व घटना के अनावरण हेतु लगभग 09 टीमें गठित की गई। महिला के शव से प्राप्त बिछुवे व अन्य पहचान के आधार पर तलाश गश्ती तैयार की गयी व महिला के शव की पहचान हेतु अथक प्रयास किये गये।

कार्यवाही का विवरण-- गठित पुलिस टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चैक किये गये और लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया, जिसमें करीब 44 गाडियों को चिन्हित कर उनके मालिकों/चालकों से पूछताछ की गयी। इसी क्रम में दिनांक 05.11.2025 को एक सफेद व नीले रंग की बस लाइट बन्द करके संदिग्ध अवस्था में घटना स्थल की तरफ जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त में लगी टीमों के द्वारा संदिग्ध बस का नं0 प्राप्त किया, जिसका नं0 UP16KT0037 है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त वाहन ड्राइवर मोनू सिंह चलाता है, जो बरौला में रहता है। बरौला में अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त हेतु संदिग्ध गाड़ी के ड्राइवर की जानकारी की गयी तो पाया कि एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी है, 05-06 दिन से लापता है और कुछ समय से उसका ड्राइवर मोनू सिंह के साथ विवाद चल रहा था।

दिनांक 14.11.2025 को **थाना सेक्टर-39 पुलिस** द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से ड्राइवर मोनू सोलंकी पुत्र सत्यवीर सोलंकी को **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्त की निशादेही से मृतका प्रीति के अवशेष तथा कपड़े व आलाकत्ल (गडांसा), बस में बिछी मैट तथा घटना में संलिप्त बस को बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि प्रीति व उसकी माता एक जींस की फैक्ट्री, बरौला में साथ में काम करते थे, जिस कारण हमारी जान-पहचान हो गयी तथा घर भी आना-जाना शुरू हो गया। इसी बीच मेरे व प्रीति के अनैतिक सम्बन्ध बन गये। प्रीति अब मुझे ज्यादा परेशान करने लगी थी। मेरे द्वारा जो पैसे कमाये जाते थे वह भी मुझसे ले लेती थी। इसी बीच मेरी और प्रीति की कई बार लड़ाई भी हुयी थी। मुझे प्रीति लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। मेरे तीन बच्चे है जिनमें 02 बेटी और 01 बेटा है। प्रीति मुझे अक्सर धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ूँगी और मैं तुम्हारी लड़की से अनैतिक काम करवाउंगी।

मैं इसी कारण मन ही मन में प्रीति के प्रति गुस्से से भर गया और उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। दिनांक 05.11.25 को मैं, प्रीति के घर गया और उसके घर से एक गडांसा अपने साथ ले आया था, जिसकी प्रीति को जानकारी नहीं थी, प्रीति को मैं अपनी बस में बैठाकर ले गया, हमने रास्ते में पराठा लिया और साथ में बस में बैठकर पराठा खाने लगे, इस दौरान प्रीति मुझे गाली देने लगी और हमारी इसी बीच लड़ाई हो गयी, फिर मैने छुपाकर रखे गडांसे से उसकी गर्दन काट दी तथा पहचान छुपाने के लिए उसके हाथ भी काट दिये थे और शव को

रास्ते में ही नाले में फेंक दिया तथा अन्य अवशेष और आला कत्ल गडांसा मैनें गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार के पास सूखे नाले में फेंक दिये थे। जिसकी फोरेंसिक टीम द्वारा जाँच कराने पर ब्लड स्टेंस को HUMAN BLOOD पाया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण— मोनू सोलंकी पुत्र सत्यवीर सोलंकी निवासी नेहरू नगर, कोतवाली जैथरा, जनपद एटा वर्तमान पता बरौला, थाना सेक्टर-49, नोएडा उम्र करीब 34 वर्ष।

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 556/2025 धारा 103(1), 238 बीएनएस, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1-घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल गडांसा

2-शव से विच्छेदित अवशेष

3-घटना में प्रयुक्त बस

4-बस में बिछी मैट